बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः 12/वि0–134/2026 (छा0सं0)–631 पटना/दिनांकः 04/05/26

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषयः– **राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं अन्य योजनाओं अंतर्गत निर्मित गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 20730 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना, गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 8070 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना एवं 1133 पाईप जलापूर्ति योजना अर्थात कुल–29933 योजनाएँ जिनका परिचालन एवं रख–रखाव की अवधि दिनांक–31.03.2026 तक समाप्त हो गयी है तथा इन सभी योजनाओं के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) आधारित पर्यवेक्षण (Supervision) एवं मोनिटरिंग हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) अधिष्ठापन के साथ अगले 5 वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल ₹360156.615 लाख रू0 (तीन हजार छह सौ एक करोड़ छप्पन लाख इकसठ हजार पाँच सौ रू0) मात्र की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः – राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं अन्य योजनाओं अंतर्गत निर्मित गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 20730 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना, गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 8070 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना एवं 1133 पाईप जलापूर्ति योजना अर्थात कुल–29933 योजनाएँ जिनका परिचालन एवं रख–रखाव की अवधि दिनांक–31.03.2026 तक समाप्त हो गयी है तथा इन सभी योजनाओं के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) आधारित पर्यवेक्षण (Supervision) एवं मोनिटरिंग हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) अधिष्ठापन के साथ अगले 5 वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल ₹360156.615 लाख रू0 (तीन हजार छह सौ एक करोड़ छप्पन लाख इकसठ हजार पाँच सौ रू0) मात्र की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त वर्णित गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 20730 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना, गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 8070 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना एवं 1133 पाईप जलापूर्ति योजना अर्थात कुल–29933 योजनाओं के लिए IOT अधिष्ठापन के साथ 05 (पाँच) वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव (विद्युत प्रभार सहित) से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के क्रियान्वयन पर कुल ₹360156.615 लाख रू0 (तीन हजार छह सौ एक करोड़ छप्पन लाख इकसठ हजार पाँच सौ रू0) मात्र का व्यय संभावित है।

Scanned with OKEN Scanner

3. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं अन्य योजनाओं अंतर्गत निर्मित पाईप जलापूर्ति योजनाओं के परिचालन एवं रख–रखाव का कार्य संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के द्वारा e-proc -2 पर आमंत्रित निविदा में चयनित संवेदकों/ऐजेंसियों के माध्यम से कराया जायेगा। जिसके लिए विभागीय संकल्प संख्या–543 दिनांक–28.06.21 (समय–समय पर यथासंशोधित) द्वारा निर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश मानक होंगे।

4. जिलावार/प्रमंडलवार राशि से संबंधित प्राक्कलनों पर सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	जिला	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	कुल		अभ्युक्ति
			योजनाओं की संख्या	प्राक्कलित राशि (रु0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6
1	पटना	पटना पूर्व	407	8777.55200	अनुसूची–01
2		पटना पश्चिम	200	4708.97600	अनुसूची–02
3	नालंदा	बिहारशरीफ	625	9606.50300	अनुसूची–03
4		हिलसा	283	5517.45600	अनुसूची–04
5	भोजपुर	आरा	745	8450.80053	अनुसूची–05
6	अरवल	अरवल	20	530.60170	अनुसूची–06
7	बक्सर	बक्सर	552	7430.95200	अनुसूची–07
8	रोहतास	सासाराम	426	5753.67278	अनुसूची–08
9	कैमुर	भभुआ	933	8142.69800	अनुसूची–09
10	औरंगाबाद	औरंगाबाद	439	3948.80400	अनुसूची–10
11	गयाजी	गयाजी	425	4110.12700	अनुसूची–11
12		शेरघाटी	429	4252.96400	अनुसूची–12
13	जहानाबाद	जहानाबाद	164	2465.75523	अनुसूची–13
14	नवादा	नवादा	552	6273.98900	अनुसूची–14
15	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	101	2709.29400	अनुसूची–15
16		मोतीपुर	163	2604.10200	अनुसूची–16
17	वैशाली	हाजीपुर	416	4409.64200	अनुसूची–17
18	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	307	3905.49400	अनुसूची–18
19	शिवहर	शिवहर	47	658.63500	अनुसूची–19
20	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	65	1424.32900	अनुसूची–20
21		ढ़ाका	66	1249.88500	अनुसूची–21
22	पश्चिमी चम्पारण	बेतिया	226	3742.77800	अनुसूची–22
23	दरभंगा	दरभंगा	70	2042.95689	अनुसूची–23

Scanned with OKEN Scanner

क्र0 सं0	जिला	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	कुल		अभ्युक्ति
			योजनाओं की संख्या	प्राक्कलित राशि (रु0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6
24	मधुबनी	मधुबनी	173	2352.37800	अनुसूची–24
25		झंझारपुर	126	2074.47600	अनुसूची–25
26	समस्तीपुर	समस्तीपुर	1084	11601.98200	अनुसूची–26
27	सारण	छपरा	328	6118.40000	अनुसूची–27
28	सिवान	सिवान	98	1520.70800	अनुसूची–28
29	गोपालगंज	गोपालगंज	99	1866.46060	अनुसूची–29
30	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	955	10283.03950	अनुसूची–30
31		धमदाहा	806	8733.27500	अनुसूची–31
32	किशनगंज	किशनगंज	1227	11964.98800	अनुसूची–32
33	कटिहार	कटिहार	2785	30388.38550	अनुसूची–33
34	अररिया	अररिया	1801	19375.63600	अनुसूची–34
35		फारबिसगंज	1029	10978.74300	अनुसूची–35
36	सहरसा	सहरसा	1007	9829.68000	अनुसूची–36
37	सुपौल	सुपौल	1854	20598.15700	अनुसूची–37
38	मधेपुरा	मधेपुरा	2362	23678.29400	अनुसूची–38
39	भागलपुर	भागलपुर पूर्व	443	6407.80570	अनुसूची–39
40		भागलपुर पश्चिम	271	3372.62896	अनुसूची–40
41	बांका	बांका	563	5732.46700	अनुसूची–41
42		बाराहाट	250	2614.73100	अनुसूची–42
43	मुंगेर	मुंगेर	312	2950.09461	अनुसूची–43
44	जमुई	जमुई	1750	16179.41600	अनुसूची–44
45	शेखपुरा	शेखपुरा	288	2827.86700	अनुसूची–45
46	बेगूसराय	बेगूसराय	654	7556.20500	अनुसूची–46
47		तेघड़ा	708	8371.72300	अनुसूची–47
48	खगड़िया	खगड़िया	1007	11628.34900	अनुसूची–48
49	लखीसराय	लखीसराय	292	3466.25800	अनुसूची–49
कुल–			29933	345190.11500	
प्रत्येक योजना (29933) में IOT अधिष्ठापन एवं पंचवर्षीय परिचालन एवं रख–रखाव (प्रति IOT @ Rs. 50,000/-)				14966.500 लाख	
सकल राशि–				360156.615 लाख	

5. इस योजना के परिचालन एवं रख–रखाव पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष–मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई–उपमुख्य शीर्ष 01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम, उपशीर्ष 0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव – सात

Scanned with OKEN Scanner

निश्चय–2, विपत्र कोड–36–2215011020107, विषय शीर्ष–0107–27–02 अनुरक्षण एवं मरम्मति शीर्ष अंतर्गत भारितव्य होगा।

6. इस योजना के मरम्मति, अनुरक्षण एवं रख–रखाव की राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

7. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरांत e-proc-2 पर आमंत्रित निविदा के माध्यम से चयनित संवेदक/ऐजेंसी द्वारा करायी जायेगी।

8. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

9. योजना का कार्यान्वयन के क्रम में निर्धारित निरीक्षण सरकार के निर्गत सुसंगत आदेशों में विहित प्रावधानानुसार सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराया जाना सुनिनिश्चित कराया जायेगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा और बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

12. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

13. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता (पुनरीक्षित सहित) के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

14. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना विषयगत कार्य की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे।

15. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)/ (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

16. योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007–12888–वि0, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में दिनांक–16.04.2026 को हुई लोक वित्त समिति की बैठक में योजना की स्वीकृति हेतु अनुशंसा

Scanned with OKEN Scanner

एवं दिनांक–29.04.2026 को राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक (मद संख्या–8) में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

17. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–12/वि0–134/26 (छा0सं0) के पृष्ठ सं0–17/टि0 पर प्राप्त है।

अनु0–यथोपरि।

04/05/2026

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांकः–631
पटना, दिनांक– 4/05/26

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/कल्याण विभाग, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण बिहार)/रूपांकण/यांत्रिक/अनुश्रवण/मुख्य अभियंता (रुपांकण) के प्रावैधिक सचिव/अधीक्षण अभियंता (मो0)/कार्यपालक अभियंता (मो0)/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–4/6/ 12/14/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी कार्यपालक अभियंता स्वीकृत योजना की मदों की मात्रा, दर एवं गणना में भूल को तुरंत विभाग के संज्ञान में लायेंगे। इसकी पूर्ण जबावदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता की होगी।

4. माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04/05/2026

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)

Scanned with OKEN Scanner